न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 04 / 18 दायरा दिनांक 10.01.2018

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कान्तीबाई पुत्री श्रीलाल जाति भोई कहार निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
2. जानकीबाई पुत्री श्रीलाल जाति भोई कहार निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
3. भूलीबाई पुत्री श्रीलाल जाति भोई कहार निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां

– अपीलाण्टगण

बनाम

1. बजरंगा पुत्र श्रीलाल जाति भोई कहार निवासी भंवरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
2. मनोज पुत्र रामचरण जाति भोई कहार निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां
3. शकुन वेबा रामचरण जाति भोई कहार निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां।

–रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :–

1. अभिभाषक अपीलान्टगण – श्री नरेश नागर,
2. अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण – कोई उपस्थित नहीं।

अपील विरूद्व इन्तकाल नं. 1425 दिनांक 13.01.1996 ग्राम भंवरगढ़, तहसील किशनगंज जिला बारां निरस्त फरमाने बाबत्।

निर्णय दिनांक 30-7-19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 13.01.1996 को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। ग्राम भंवरगढ पटवार हल्का भंवगरढ़ के माल की आराजी खसरा संख्या 675 रकबा 12 बिस्वा , खसरा संख्या 2054 / 2236 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल 2 बीघा 15 बिस्वा एवं ग्राम भंवरगढ पटवार हल्का भंवरगढ के माल की आराजी खसरा संख्या 634 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी पर तस्दीक किये जाने गये इन्तकाल नं.

1425 दिनांक 13.01.1996 को विवादित इन्तकाल के नाम से आगे अपील में सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी के मृतक श्रीलाल पुत्र मोतीलाल थे जिसका परिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

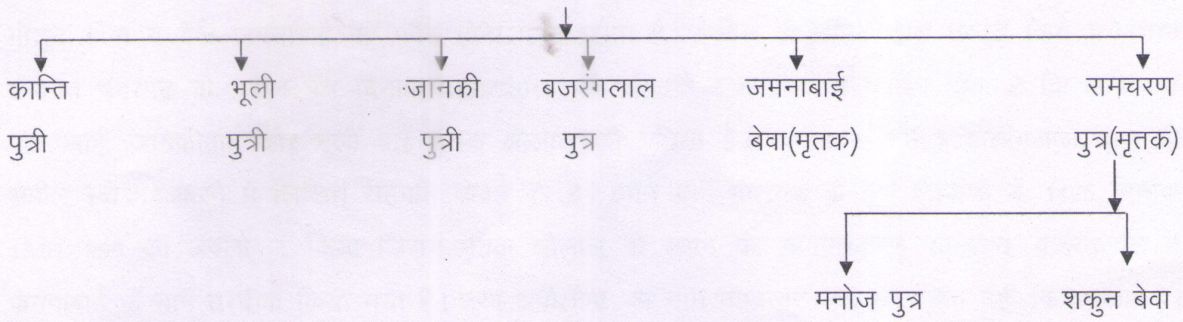

उपरोक्त पारिवारिक सजरा अनुसार श्रीलाल के दो पुत्र रामचरण, बजरंगलाल एवं तीन बहिनें कान्तीबाई, भूलीबाई एवं जानकीबाई व एक बेवा जमनाबाई है। जमनाबाई फोत हो चुकी है व रामचरण भी फोत हो चुका है जिसके एक पुत्र मनोज व बेवा शकुन है जो अन्य जगह नाते चली गई है। श्रीलाल के फौत होने के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि अनुसार इन्तकाल नं. 1425 खोला जाकर तस्दीक हेतु तहसीलदार किशनगंज के पास पेश किया किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का से सांठ–गांठ व मिलीभगत कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये इन्तकाल नं. 1425 को अपीलान्टगण का नाम हटाकर तस्दीक करवा लिया गया तथा अपीलान्टगणों के हिस्से की आराजी को हड़प लिया अपीलान्ट रेस्पोडेन्टगणों की सगी बहनें है व श्रीलाल पुत्र मोतीलाल के जायत उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामान है जिसमें मृतक श्रीलाल के खाते की आराजी में बराबर का हिस्सा विरासत में बनता है। अस्तु इन्तकाल नं. 1425 दिनांक 13.01.1996 अपीलान्टगण के हिस्से के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। इन्तकाल नं. 1425 अपीलान्टगणों के हिस्से के विरूद्व अवैधानिक एवं शून्य है अपीलान्टगणों को नुकसान पहुंचाने की गरज से रेस्पोडेन्ट राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से अवैधानिक रूप से अपीलान्टगणों के हितों के विरूद्व तस्दीक किया गया है। जिससे अपीलान्टगणों के खातेदारी हक हकूकों पर भारी विपरीत प्रभाव पडा है। इस कारण अपील इन्तकाल निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टगणों द्वारा रेस्पोडेन्टगणों के नाम से उनके खाते की आराजी का विभाजन करवाने का निवेदन करने पर रेस्पोडेन्टगणों ने अपीलान्टगण के खाते में दर्ज जमीन नहीं होने का हवाला देने पर तत्पश्चात अपीलान्टगणों द्वारा हल्का पटवारी से विवादित इन्तकाल नं. 1425 की पत्रावली प्राप्त होने पर व दिनांक 12.12.2017 को नकल प्राप्त होने से अपील अपीलान्ट अन्दर जानकारी न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत है।

रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ने उपस्थित होकर अपील जबाब पेश किया जिसमें बिन्दु संख्या 1 से 6 स्वीकार कर निवेदन किया है कि अपीलान्टगणों की अपील स्वीकार कर अपीलान्टगणों का नाम खाते में दर्ज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 20.03.2018 को ही एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पारिवारिक सजरे के अनुसार मृतक श्रीलाल के दो पुत्र क्रमशः बजरंगलाल रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व रामचरण (मृतक) के कायम मुकाम रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 एवं तीन बहिनें क्रमशः कान्तीबाई, भूली बाई एवं जानकीबाई (अपीलान्ट) मौजूद होना व बेवा जमनाबाई का फौत होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये ग्राम पंचायत भंवरगढ के प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2017 की प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट कान्तीबाई, जानकीबाई और भूली बाई मृतक श्रीलाल की पुत्रियां है। रेस्पोडेण्ड क्रम 1 बजरंगलाल द्वारा भी अपील स्वीकार करने में लिखित सहमति व्यक्त की है। हमने ग्राम भंवरगढ के मूल इंतकाल नं. 1425 दिनांक 13.01.1996 का अवलोकन किया जिसमें मृतक श्रीलाल के स्थान पर नामान्तकरण रामचरण, बजरंगलाल व जमनाबाई के नाम तस्दीक किया गया है। तथा अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया है। जो विधिक रूप से सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का नाम छोडा जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम भंवरगढ का इंतकाल नं. 1425 दिनांक 13.01.1996 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 1425 दिनांक 31.01.1996 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:37:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: